

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

1. शंकरलाल पुत्र ओमपकाश वनाम 1. ओमपकाश पुत्र मूलाराम जाट
 2. मदनलाल पुत्र ओमपकाश 2. राजस्थान सरकार जर्मि नगर भादरा

दावा बाबत :- 88, 89 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 52/2021

निर्णय दिनांक :- 01/11/2021

वादी की ओर से वकील श्री धाराम दास की व प्रतिवादी सं० 01 की

ओर से वकील श्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01/11/2021

को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने

पर आदेश दिया जाता है कि श्री मीना चक 5 बाराती के (वादा सं. 60/62

के मु.न. 9 किला 21 ता 25, मु.न. 10 के किला नं. 21, 22 मु.न. 14

किला नं. 1 ता 23, मु.न. 15 किला नं. 1 ता 25, मु.न. 16

कि.नं. 1 ता 25 मु.न. 21 कि.नं. 1, मु.न. 23 कि.नं. 1 ता 3

मु.न. 25 किला 6 ता 9, 12 ता 25 मु.न. 36 किला नं.

1 ता 25, कुल 31.11.90 ई. में 1452 हिस्सा में श्री परिवारी

ज. 1 के नाम 1/5 हि. तथा चक 20AAS के वादा सं.

36/35 के मु.न. 1 किला नं. 20, 21 मु.न. 11 किला नं. 1,

10 ता 12, 19, 20 की कुल 2.024 ई. में प्रतिवादी सं. 1 के

नाम 1/10 हि. राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मैं श्री परिवारी ज.

1 ओमपकाश की जजाम वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व्यय हिस्सा

जराब के खातेदार काश्तकार बोधित किया जाते हैं। वही

अनुसार राजस्व रिकार्ड में ओमपकाश पुत्र मूलाराम की जजाम

ओमपकाश पुत्र मूलाराम दर्ज किया कर, राजस्व रिकार्ड कुल

किया जाते। भूमि रख लेने की कक्षा में डिक्री की पाणना रख

मुक्त होने के पश्चात की जावे।

खर्च पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)